CW-193044/15 (15)

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली(हाजीपुर)
न्यायालय, लोकपाल, मनरेगा, जिला–वैशाली।

दिनांक	शिकायत पत्र क्रम संख्या 78/15–16 में पारित आदेश की प्रतिलिपि	अभ्युक्ति

यह वाद दिनांक 03 जून 2015 के दैनिक समाचार पत्र ''हिन्दुस्तान'' के पृष्ठ सं0 05 पर वैशाली जिले के प्रखण्ड कार्यालय, सहदेई बुजुर्ग के संबंध में एक खबर प्रकाशित किया गया था। उक्त समाचार पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है।

वैशाली जिले के प्रखण्ड सहदेई बुजुर्ग के अन्तर्गत प्रखण्ड कार्यालय में मनरेगा कार्यालय भवन का निर्माण किया जाना है। जिसे पूरा किये जाने की अवधि छः महीने ही निर्धारित थी, परन्तु लगभग दो वर्षो की अवधि के पश्चात् भी निर्माण कार्य पूरा नही किया गया है।

प्रकाशित खबर में कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड कार्यालय सहदेई बुजुर्ग द्वारा बताया गया है कि उक्त निर्माण कार्य के लिए उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोग किया जा चुका हे। आगे का निर्माण कार्य, राशि के अभाव में नही हो पा रहा है। 2014-15 के 50 लाख रू0 मजदूरों के बाकी है। जिले के उप विकास आयुक्त से एक करोड़ रूपये की राशि की माँग के लिये प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

विदित है कि उक्त निर्माण कार्य के संबंध में एक तस्वीर भी प्रकाशित की गयी है जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त निर्माण कार्य अभी नींव के आसपास ही पूरा किया गया है। उक्त प्रकाशित शिकायत के संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी, महुआ से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। कार्यक्रम पदाधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि प्रकाशित खबर में निर्माण किये जाने वाली योजना, प्रखण्ड मनरेगा कार्यालय भवन पंचायत समिति मद की योजना है। जिसका संचालन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। शुरू में भवन निर्माण कार्य को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा भुगतान किये गये राशि से किया गया। मगर उक्त राशि से किये गये कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शेष राशि की निकासी हेतु EFMS प्रणाली की प्रक्रिया लागू कर दी गयी जिसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का Digital signature (Dangle)बनना था, जिसके बाद ही राशि का निकासी किया जा सकता था। उक्त विधि के प्रयोग किये जाने हेतु Dangle बनाये जाने की प्रक्रिया में विलम्ब हुआ। क्योंकि इस दौरान उक्त अवधि में ही दो बार प्रखण्ड विकास अधिकारी का तबादला भी हो गया। जिससे उक्त प्रक्रिया बाधित हुई है। अभी तत्काल की अवधि में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का Digital signature) बनने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। वर्तमान में भुगतान हेतु कार्यक्रम पदाधिकारी का Digital signature बन रहा है। उक्त निर्माण कार्य के संबंध में उनके द्वारा यह भी बताया गया कि 15 दिनों के अन्दर भुगतान कर कार्य को शीघ्र ही पूर्ण करवाया जायेगा।

कार्यक्रम पदाधिकारी सुनवाई की तिथि पर उपस्थित हुए। उक्त निर्माण कार्य के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि तकनीकी कारणों से भुगतान राशि प्रक्रिया को पूर्ण किये जाने में विलम्ब हुआ है। अब इसका निराकरण कर दिया गया है। इन्होंने आश्वासन दिया कि उक्त निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण करवाया जायेगा।

प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त निर्माण की योजनाओं में कार्य नियमानुसार किया जा रहा है। किसी प्रकार की अनियमितता बरते जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विभागीय प्रतिवेदन को सत्य नहीं मानने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है। अतः आदेश दिया जाता है कि तय समयानुसार 15 दिनों के अन्दर इस निर्माण कार्य को शुरू आवश्य करवा देंगें। इसका अनुपालन कार्यक्रम पदाधिकारी करेंगें। सहायक अभियंता को निदेश

दिया जाता है कि उक्त निर्माणाधीन प्रखण्ड स्तरीय मनरेगा भवन का प्रतिवेदन 30 दिनों में प्रस्तुत करेंगें।

इन्हीं निष्कर्ष के साथ इस वाद का निष्पादन किया जाता है।

हस्ताक्षर

लोकपाल,
मनरेगा, वैशाली।

ज्ञापांक 1487 /अभिकरण, हाजीपुर, दिनांक 22/07/15

प्रतिलिपिः कार्यक्रम पदाधिकारी, सहदेई बुजुर्ग/ सहायक अभियंता, मनरेगा, जिला- वैशाली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। संबंधित कनीय अभियंता प्रखण्ड-सहदेई बुजुर्ग, जिला- वैशाली को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि उक्त निर्माण कार्य में सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

लोकपाल,
मनरेगा, वैशाली।

ज्ञापांक /अभिकरण, हाजीपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

लोकपाल,
मनरेगा, वैशाली।

ज्ञापांक /अभिकरण, हाजीपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह- जिला पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

लोकपाल,
मनरेगा, वैशाली।

ज्ञापांक 1487 /अभिकरण, हाजीपुर, दिनांक 22/07/15

प्रतिलिपिः सचिव ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

लोकपाल,
मनरेगा, वैशाली।

CN- 180636/15

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली।

लोकपाल , मनरेगा, जिला– वैशाली

प्रपत्र– त्रैमासिक प्रतिवेदन, अवधि– अप्रैल 2015 से जून 2015

प्रसंग :– मनरेगा अन्तर्गत लोकपाल के संबंध में संशोधित मार्गदर्शिका (कृषि भवन नई दिल्ली दिनांक 16.01.2014)

क्रम सं0	लोकपाल का नाम	माह के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	माह में प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल परिवाद (शिकायत) पत्रों की संख्या	निष्पादित परिवाद की संख्या	लोकपाल द्वारा परिवाद के निष्पादन के क्रम में निष्पादित विशिष्ट परिवाद का शिकायतवार सार।	अभ्युक्ति
		3	4	5	6	7	8
1	पंकज कुमार सिन्हा	3	7	10	01	**<u>शिकायत क्रम सं0 एवं वाद सं0 74/ 2014–15</u>** यह वाद श्री कृष्ण कुमार भार्गव, ग्राम – गोरीगामा, पो0+थाना– महुआ, जिला– वैशाली के दिनांक 06.12.2014 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। ग्राम पंचायत से संबंधित शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है। ग्राम पंचायत विशुनपुर हीराराम उर्फ पहाड़पुर की मनरेगा योजना के तहत् पूरे पंचायत के अन्तर्गत महादलित परिवार के दरवाजे पर मिट्टी भराई एवं सोलिंग का कार्य कराया गया है, जिसमें सरकारी नियम का उल्लघंन करते हुए बिना मिट्टी भराये घटिया किस्म के ईट से सोलिंग कार्य किया गया है। शिकायतकर्त्ता का आगे यह भी कहना है कि ग्राम पंचायत की योजनाओं के संबंध में पूर्व में भी एक आवेदन दिया गया था, जिसमें आपके द्वारा आदेश पारित किया गया था, जिसकी प्रखण्ड द्वारा अनदेखी की गयी है, इत्यादि। शिकायतकर्त्ता के शिकायत– पत्र के संदर्भ में कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड– महुआ से कारण पृच्छा की मांग की गयी। कार्यक्रम पदाधिकारी ने अपने कारण पृच्छा में बताया कि प्रश्नगत् शिकायतकर्त्ता के शिकायत–पत्र में ग्राम पंचायत के मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य से संबंधित योजना सं0 01/13–14 से 10/2013–14 तक की योजनाओं की स्थलीय जाँच की गयी। उक्त सभी योजनाओं से दलित एवं महादलित परिवारों के कुल 192(एक सौ बेरानबे) परिवार लाभान्वित हुए है।	अभिकरण कार्यालय के सॉफ्ट वेयर (कम्प्यूटर) से चालू दो वर्षो की योजनाओं का ही विवरणी प्राप्त किया जा सकता है। शेष पिछले वर्षो के योजनाओं की जानकारी ग्राम

					उन्होंने अपने कथन के समर्थन में लाभार्थियों के कथन भी प्रस्तुत किये है। शिकायतकर्त्ता द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने एवं स्वयं या उनके कोई प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने के कारण जाँच प्रतिवेदन को सत्य नहीं मानने का कोई कारण परिलक्षित होता है। दिनांक 09.01.2015 को मेरे द्वारा ग्राम पंचायत के उक्त योजनाओं की स्थल जाँच की गयी। मेरे साथ मुखिया ग्राम पंचायत– विशुनपुर हीराराम उर्फ पहाड़पुर, श्री अखिलेश कुमार सुमन, पंचायत रोजगार सेवक, श्री रामराज, पंचायत तकनीकी सहायक एवं श्री कृष्ण कुमार भार्गव, शिकायतकर्त्ता के साथ काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। मेरे द्वारा ग्राम पंचायत में योजना सं0 01/2013–14 से लेकर योजना सं0 10/2013–14 तक महादलित परिवार के दरवाजे पर मिट्टी भराई एवं ईटं सोलिंग कार्य का स्थल जाँच किया गया। मेरे स्थल निरिक्षण में पाया गया कि योजना सं0 03/2013–14 में श्री रघुनन्दन राम के दरवाजे पर वास्तव में मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग का कार्य किया गया है परन्तु मिट्टी भराई आंशिक रूप से किया गया है। पंचायत रोजगार सेवक एवं मुखिया को निदेश दिया जाता है कि उनके दरवाजे पर पन्द्रह दिनों के अन्दर समुचित मिट्टी भराई कार्य पूर्ण करें। इसका अनुपालन कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत रोजगार सेवक करायेंगे। शेष ईटं सोलिंग एवं मिट्टी भराई की योजनाओं के कार्य संतोषप्रद पाये गये। योजना सं0 01/2013–14 तथा 02/2013–14 में योजनाओं के बोर्ड लगे हुए नहीं पाये गये। मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा बताया गया कि स्थानीय लोगों द्वारा बोर्ड क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उन्हें बताया गया कि उनका यह कार्य अवैधानिक है। इन्होंने आश्वासन दिया कि बोर्ड को पुनः बनवा दिया जायेगा। इन्हें आदेश दिया जाता है कि 15 दिनों के अन्दर इसे बनवा देंगे अन्यथा इस कार्य पर व्यय की गयी राशि वसूलनीय होगी। इसका अनुपालन भी कार्यक्रम पदाधिकारी, महुआ एवं पंचायत रोजागार सेवक करेंगे। अनुपालन प्रतिवेदन तीन सप्ताह मे प्रस्तुत करेंगे। शिकायतकर्त्ता के शिकायत–पत्र में अंकित शेष बिन्दुओं के संबंध में उप विकास आयुक्त, वैशाली को अवगत करा दिया गया है।	पंचायत/ प्रखण्ड के अभिलेख से ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसे प्राप्त करने में काफी समय नष्ट होने की संभावना है।

(लोकपाल का हस्ताक्षर)

प्रतिलिपिः ज्ञापांक 1374 /अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 04/07/15
जिला कार्यक्रम समन्वयक–सह– जिला पदाधिकारी, वैशाली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(लोकपाल का हस्ताक्षर)

प्रतिलिपिः ज्ञापांक 1374 /अभिकरण, हाजीपुर, दिनांक 04/07/15
प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

(लोकपाल का हस्ताक्षर)

7

CNR 150897/15

District Rural Development Authority Vaishali
Ombudsman- MNREGA
District – Vaishali

Subject: Annual report Containing General review of activities of the office of ombudsman during the preceding financial year April 14 to March 15.

Reference : Instruction on Ombudsman date 16.01.2014

Department of Rural Development New Delhi

Name of Ombudsman – Pankaj kumar sinha

Place – Vaishali, hajipur

General Activities

There are total seventy four complaints had been received in the office between last two years 2013-14 and 2014-15 Fifty eight complaints had been received in the year 2013-14 and rest sixteen complaints is in year 2014-15.

Complaints received

2013 -14	58 (No. Of complaints)
2014-15	16(No. Of Complaints)
	Total – 74(No of Complaints)

Disposal of Complaints

2013- 14	45 (No of Complaints)
2014-15	26 (No of complaints)
	Total 71 (no of Complains)

Copies of each passed award have been provided to the concerned MNREGA Authorities. and complained against.

Applications concerned about write to information act have been also received in the office.

Tour programme from vaishali head Quarter hajipur to various gram Panchayats were as followrs.

Sl. No	Date	Name of Gram Panchayat	Block
1	30.05.2014	Sahtha	Bhagwanpur
2	20.06.2014	Rampur Ratnakar (Sarsai)	Rajapakar
3	21-06-2014	Khanpur pakri	Bidupur
4	23.06.2014	Jarang Rampur	Patedhi Belsar
5	26.07.2014	Bhanpur Barewa	Gorual
6	18.10.2014	Kheshrahi	Patepur
7	20.10.2014	Panapur Langa	Hajipur
8	16.12.2014	Khajechand Chapra and chhaurahi	Chehrakala
9	17.12.2014	Rahimpur	Vaishali
10	09.01.2015	Bishanpur Hiraram (Paharpur)	Mahua

Submission of Compile a list of Award passed between April to March.	
1	List of Award from 01.04.2013 to 31.03.2014 letter No 984 DRDA Hajipur date 21.05.2014
2	List of Award from 01.04.2014 to 31.03.2015 letter No 922 DRDA Hajipur, date 19.05.2015

Submission of Annual report on General review of activities.

1. Annual report up to 31.03.2013 letter No 424/ DRDA Hajipur date 25.04.2013
2. Annual report up to 31.03.2014 letter No 992/DRDA Hajipur date 24.05.2014
3. Annual report up to 31.03.2015 in Process.

Submission of Quarterly report(2014-15)

1. Short form of the Award from April 14 to June 14 letter No 1814/ DRDA Hajipur date 24.07.2014
2. Short form of the Award from July 14 to September 14- letter No 233/ DRDA Hajipur date 08.10.2014
3. Short form of the award from October 14 to December 14 letter No 51/ DRDA Hajipur date 08.01.2015
4. Short form of the Award from January 15 to March 15 letter No 757/DRDA Hajipur date 09.04.2015

Submission of Monthly report (2014-15) recommending appropriate action.

1.	April 14	Letter No 924/DRDA Hajipur	Date 03.05.2014
2.	May 14	Letter No 1087/DRDA Hajipur	Date 04.06.2014
3.	June 14	Letter No 1631/DRDA Hajipur	Date 02.07.2014
4.	July 14	Letter No 1912/DRDA Hajipur	Date 04.08.2014
5.	August 14	Letter No 2120/DRDA Hajipur	Date 03.09.2014
6.	September 14	Letter No 2311/DRDA Hajipur	Date 30.09.2014
7.	October 14	Letter No 2774/DRDA Hajipur	Date 05.11.2014
8.	November 14	Letter No 3060/DRDA Hajipur	Date 01.12.2014
9.	December 14	Letter No 33 / DRDA Hajipur	Date 03.01.2015
10.	January 15	Letter No 278 / DRDA Hajipur	Date 05.02.2015

Submission of the report of findings up to December 14 for appropriate legal action against erring persons.

Letter No 115/ DRDA hajipur Date 16.01.2015

<u>Other information</u>

Wall paintings for The information about Ombudsman in MNREGA to the people at the concerned Block/ Gram Panchyat office has not been flashed as directed by the state Nodal Department.

Quality of the working of the MNREGA Authorities

1. Programme officer and Panchayat Rozgar Sewak does not attend their duties daily.
2. Documentary evidence of the concerned complaints does not be provided by the Gram panchyat/ Block offices on time to dispose the complaint.
3. Any Change or any amend in the rules and regulations of the MNREGA are not been informed.

4. Meeting organized by the District Administration should be informed to us.
5. The function of Monitoring of the programme officer to the Gram panchayat is poor.
6. Meeting of Gram panchayat working committees does not organizes properly.

Recomendations

1 Daily attendance of MNREGA employee should be ensure.
2 The aim of MNREGA should be treated as social work. So we should to expose it as social work as well as social enviourment.
3 Awareness programme should be arranged to train up the job card holders.
4 NGO should be engage for the social Audit programme of the Gram Panchayat.
5 Selection or Completion of yojana of the Gram panchayat should be transparent.

Pankaj kumar Sinha
(Ombudsman MNREGA)

Memo No 1033 / DRDA, Vaishali, Date 26/5/15
Copy to Secretary Department of Rural Development Bihar, Patna.

(Ombudsman MNREGA)

Memo No 1033 / DRDA, Vaishali, Date 26/5/15

Copy to Hon'ble, Cheif Secretary, govt. Of Bihar, Patna.

(Ombudsman MNREGA)